[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

No.F.10-1/2015-U.3(A)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 31st August, 2015

NOTIFICATION

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as a Deemed to be University;

2. And whereas, on the advice of the UGC, Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Rushikonda, Visakhapatnam, Andhra Pradesh was declared as an 'Institution Deemed to be University' initially consisting of two colleges viz (i) College of Engineering and (ii) College of Science for the purposes of the aforesaid act, vide this Ministry's notification No.F.9-37/2006-U3(A) dated 13.08.2007. Later on, two more colleges viz. (i) College of Management Studies and (ii) College of Pharmacy were brought under the ambit of Deemed to be University vide Notification No. F.10-6/2007-U3(A) dated 13.06.2008. The Government of India vide Notification No. F.10-10/2008-U3(A) dated December, 2008, allowed the Deemed to be University to start an off-campus centre from the academic year 2009-10 at Rudraram Village on the outskirts of Hyderabad, on the advice of UGC. Further, the Government of India vide its Notification No.10-3/2012/U3(A) dated 27th September, 2012, on the advice of UGC, also permitted the Deemed to be University to start another off-campus centre at Nagadenahalli, Dodaballapur Taluk, Bangalore, Karnataka from the academic year 2012-13;

3. And whereas, the Institution "Deemed to be University" submitted a proposal to Ministry of Human Resource Development on 4th June, 2015 for establishment of an off-campus centre at Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh in the name of GITAM Institute of Medical Sciences & Research;

4. And further whereas, the Ministry vide its letter No. F.10-1/2015/U3(A) dated 24th June, 2015 forwarded the proposal of GITAM Deemed to be University to UGC for examination in accordance with the provisions of UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 and amendments in 2014 and 2015;

5. And whereas, the UGC vide its communication No.10-2/2015 (CPP-I/DU) dated 29.07.2015 conveyed its recommendation to Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) to start an off-campus centre at Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh in the name of GITAM Institute of Medical Sciences & Research subject to review of the off-campus centre by the UGC biennially for six years and subsequently after five years;

6. And whereas, the report of UGC Expert Committee and its recommendations were examined in the Ministry and found that one of the conditions stipulated under Clause 12.07 of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 whereby an Institution Deemed to be University intending to start a new off-campus centre / off-shore campus is made compulsory to apply to the Government of India in the prescribed format *at least six months prior to the proposed dated of starting the centre*, is not being fulfilled by the Deemed to be University;

7. And further whereas, since the UGC Expert Committee, based on an inspection, discussion with management, interaction with faculty, non-teaching staff and students and verification of documents, had recommended that the facilities available are in consonance with the requirements and the academic and physical infrastructure available at proposed off-campus centre are adequate, the Ministry is of the opinion that the proposed off-campus centre at Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh in the name of **GITAM Institute of Medical Sciences & Research may be treated as valid from the completion of six months from the date of submission of the applications (which was on 4th June, 2015), i.e. from 3rd December, 2015;**

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), do hereby accord its approval to the Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) Deemed to be University, Visakhapatnam, Andhra Pradesh to start an ***off-campus centre at Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh in the name of GITAM Institute of Medical Sciences & Research with effect from 3rd December, 2015***, for the purposes of the aforesaid Act for conduct of academic course/programmes and the conditions attached thereto, subject to review of the off-campus centre by the UGC biennially for six years and subsequently after every five year subject to usual terms and conditions as prescribed under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 and its amendments in 2014 and 2015;

9. The declaration as made in Para 8 above is further subject to fulfillment of the conditions mentioned at Sr. No.6 of the endorsement to this notification;

(Praveen Kumar)
Joint Secretary to the Government of India

The Manager,
Government of India Press,
Faridabad - 121 001,
Haryana.

Copy forwarded to: -

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002. UGC shall take appropriate action to conduct necessary reviews with help of an Expert Committee in accordance with the procedure prescribed by it for the purpose of such '*reviews*'.

2. The Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi.

3. The Secretary, Medical Council of India, Pocket-14, Sector-8, Dwarka Phase-1, New Delhi – 110077.

4. The Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad, Andhra Pradesh.

5. The Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad, Andhra Pradesh.

6. The Vice-Chancellor, Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Visakhapatnam, Andhra Pradesh. The declaration as made in Para 8 of this notification shall be further subject to compliance with / fulfillment of the following conditions:-

   (i) All the earlier conditions that were stipulated in the Ministry's Notification bearing No. No.F.9-37/2006-U.3(A) dated 13.08.2007 that governs the status of 'Deemed to be University' conferred on Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) shall continue to be in force, and shall be complied with.

(ii) The management as well as all the moveable and immovable assets/properties of GITAM Institute of Medical Sciences & Research, Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, shall legally vest with Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Visakhapatnam, Andhra Pradesh and registered as such in the interest of future of students, members of faculty, employees and for maintaining the standards of higher education.

(iii) There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC.

(iv) Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

(v) The academic programmes being offered or to be offered at Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

(vi) Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall start new academic courses only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.

(vii) Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall not admit/enroll students before 3rd December, 2015 i.e. approved date of this Centre.

(viii) The infrastructure facilities at Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall be augmented and developed suitably before starting of the next batch.

(ix) Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes at all its constituent units.

(x) Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Deemed to be University, Visakhapatnam shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes of its constituent units, including

Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh rated for valid accreditation by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 and its amendments in 2014 & 2015.

(xi) All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh.

(xii) As and when necessary, Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Deemed to be University, Visakhapatnam shall update or revise or modify its Memorandum of Association (MoA) / Rules with the approval of the UGC. Further, specific changes/ amendments, if any, suggested by the Government of India or UGC shall also be carried out in the MoA/Rules with the approval of the UGC.

(xiii) The MoA/Rules, Regulations, Bye-laws of Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Deemed to be University, Visakhapatnam shall clearly specify/reflect the names of all its constituent units/off-campus centre(s)/off-shore campus(es) as are approved by the Central Government.

(xiv) Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) (Deemed-to-be-University) shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 and its amendments in 2014 and 2015.

(xv) Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC.

(xvi) All the norms and guidelines as laid down by the UGC and other relevant Statutory Councils concerned from time to time, as are applicable to Institutions notified as 'Deemed to be Universities' shall be adhered to by Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Visakhapatnam and all its constituent units/off-campus centre(s)/off-shore campus(es).

7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.

8. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.

9. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.

10. File No.F.10-1/2015/U.3(A).

11. Guard file / Notification file.

(Sanjay Kumar Sinha)
Director

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ.10-1/2015-यू.3(ए)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक ३१ अगस्त, 2015

अधिसूचना

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है:

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर इस मंत्रालय की दिनांक 13.08.2007 की अधिसूचना सं. एफ. 9-37/2006-यू3(ए) के माध्यम से उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध संस्थान, (जीआईटीएएम) रूशीकोण्डा, विशाखापट्नम-530045, आन्ध्र प्रदेश को 'सम-विश्वविद्यालय संस्थान' के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें प्रारंभ में दो कॉलेज नामतः (i) इंजीनियरिंग कॉलेज एवं (ii) विज्ञान कॉलेज थे। इसके बाद, दिनांक 13.06.2008 की अधिसूचना संख्या एफ. 10-6/2007-यू3(ए) के माध्यम से दो और कॉलेजों नामतः (i) प्रबन्धन अध्ययन कॉलेज एवं (ii) भेषज शिक्षा कॉलेज को सम-विश्वविद्यालय संस्थान के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर दिनांक दिसम्बर 2008 की अधिसूचना संख्या एफ. 10-10/2008-यू3(ए) के माध्यम से सम-विश्वविद्यालय को अकादमिक सत्र 2009-10 से हैदराबाद के बाहरी छोर पर स्थित रूद्रराम गांव में एक बाह्य परिसर केन्द्र प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद भारत सरकार ने यूजीसी की सलाह पर 27 सितम्बर 2012 की अधिसूचना सं. 10-3/2012-यू3(ए) के माध्यम से इस सम-विश्वविद्यालय को अकादमिक सत्र 2012-13 के नागादेनाहल्ली, डोडाबलापुर तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में एक और बाह्य परिसर केन्द्र आरंभ करने की अनुमति प्रदान की थी। संजय

3. और जबकि 'सम-विश्वविद्यालय' ने 04 जून, 2015 में जीआईटीएएम आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान के नाम से येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में एक बाह्य परिसर केन्द्र स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

4. और जबकि, मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2015 को पत्र संख्या 10-1/2015/यू3(ए) द्वारा यूजीसी (विश्वविद्यालयवत् संस्थान) विनियम, 2010 के प्रावधानों और 2014 तथा 2015 में किए गए संशोधनों के अनुसार परीक्षण के लिए यूजीसी को जीआईटीएएम सम-विश्वविद्यालय का प्रस्ताव अग्रेषित किया गया।

5. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 29 जुलाई, 2015 के पत्र संख्या 10-2/2015 (सीपीपी-I/डीयू) द्वारा जीआईटीएएम विज्ञान और अनुसंधान चिकित्सा संस्थान के नाम से येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में बाह्य परिसर में प्रारम्भ करने के लिए गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, को अपनी सिफारिश सूचित की है, जो यूजीसी द्वारा 6 वर्षों के लिए द्विवार्षिक और उसके तत्पश्चात 5 वर्षों के बाद बाह्य परिसर केन्द्र की समीक्षा करने के अध्यधीन होगा।

6. और जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों की मंत्रालय में जांच की गई और यह पाया गया कि यूजीसी (विश्वविद्यालयवत् संस्थान) विनियम, 2010 के तहत कुछ निर्धारित शर्तों में से एक खण्ड 12.07 है जिसके द्वारा नए बाह्य परिसर केन्द्र/उपतटीय परिसर प्रारंभ करने के इच्छुक विश्वविद्यालयवत् संस्थानों को प्रस्तावित केन्द्र को प्रारम्भ करने की तारीख के कम-से-कम 6 माह पहले निर्धारित फार्मेट में भारत सरकार को आवेदन करना अनिवार्य बना दिया गया है, इस विश्वविद्यालयवत् संस्थान द्वारा पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया है।

7. और जबकि, चूंकि यूजीसी विशेषज्ञ समिति ने निरीक्षण, प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श, संकाय, गैर-शिक्षण कर्मचारी और विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर यह सिफारिश की थी कि उपलब्ध सुविधाएं आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और प्रस्तावित बाह्य परिसर केन्द्र में उपलब्ध वास्तविक अवसंरचना पर्याप्त है, मंत्रालय का यह विचार है कि येनदाडा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में **जीआईटीएएम आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के नाम से प्रस्तावित बाह्य परिसर केन्द्र को आवेदन को जमा करने की तारीख (जो 4 जून, 2015 थी) से 6 माह पूरे होने पर अर्थात् 3 दिसम्बर, 2015 से वैध माना जाए।**

संजय

8. इसलिए, अब, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्-द्वारा गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान (जीआईटीएएम) सम-विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश को **3 दिसम्बर, 2015 से जीआईटीएएम आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के नाम से येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में बाह्य परिसर केन्द्र प्रारम्भ करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करती है,** जो इसमें संलग्न शर्तों और शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ यूजीसी (विश्वविद्यालयवत् संस्थान) विनियम, 2010 और 2014 और 2015 में इसके संशोधनों के तहत निर्धारित सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन 6 वर्षों के लिए द्विवार्षिक और इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में यूजीसी द्वारा बाह्य परिसर केन्द्र की समीक्षा के अध्यधीन होगा।

9. उपर्युक्त पैरा 8 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम संख्या 6 में उल्लिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन होगी।

प्रवीण कुमार

(प्रवीण कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद-121001,
हरियाणा।

प्रति अग्रेषितः-

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसी 'समीक्षाओं' के उद्देश्यार्थ इसके द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया-विधियों के अनुसरण में विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवश्यक समीक्षाओं को आयोजित करने के लिए उचित कदम उठाएगा।

2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली। संजय

3. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद्, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110077 ।

4. मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।

5. प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।

6. कुलपति, गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, (जीआईटीएएम) विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश। इस अधिसूचना के पैरा 8 में की गई घोषणा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों की अनुपालना/पूर्ति के भी अध्यधीन होगीः-

(i) गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, (जीआईटीएएम) को प्रदान किए गए "सम-विश्वविद्यालय" दर्जे को अभिशासित करने वाली मंत्रालय की दिनांक 13.08.2007 की अधिसूचना संख्या एफ. 9-37/2006-यू.3(ए) में निर्धारित की गई सभी पूर्व शर्तें लागू रहेंगी तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

(ii) जीआईटीएएम, आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश की चल और अचल परिसम्पत्तियों/संपत्तियों के साथ-साथ प्रबन्धन, कानूनी रूप से गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, (जीआईटीएएम), विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में निहित रहेगी और विद्यार्थियों के भविष्य, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों के हितों और उच्चतर शिक्षा के स्तरों के अनुरक्षण के लिए वस्तुतः पंजीकृत रहेंगी।

(iii) विश्वविद्यालयवत् संस्थान/या इसकी संघटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्वों का विषयांतर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

(iv) गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, (जीआईटीएएम), येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश किसी भी लाभ कमाने वाली या व्यावसायिक प्रवृत्ति के कार्यकलापों में शामिल नहीं होगा अथवा ऐसे कार्य नहीं करेगा।

(v) गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, (जीआईटीएएम), येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में प्रदान किए जा रहे या प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों या मापदण्डों के अनुरूप होंगे।

(vi) गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, (जीआईटीएएम), येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश, केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही नए शैक्षिक पाठ्यक्रमों को शुरू करेगा।

(vii) गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, (जीआईटीएएम), येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश, 3 दिसम्बर, 2015 अर्थात् इस केन्द्र की अनुमोदित तारीख से पहले किसी विद्यार्थी का दाखिला/भर्ती नहीं करेगा।

(viii) गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, (जीआईटीएएम), येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में अवसंरचनात्मक सुविधाएं अगले बैच के शुरू होने से पहले समुचित रूप से बढ़ाई और विकसित की जाएंगी।

(ix) गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान, (जीआईटीएएम), येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश, अपनी सभी संघटित इकाईयों में डॉक्टरल और नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शोध कार्यक्रम शुरू करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

(x) गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम), विशाखापट्टनम, विश्वविद्यालयवत् संस्थान, अपनी घटक इकाइयों के सभी पात्र शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए सभी पर्याप्त कदम उठाएगा, जिसमें गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम), येनदाड़ा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश भी शामिल है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 और 2014 तथा 2015 में इसमें किए गए संशोधनों में दिए गए मानकों और मानदंडों के संदर्भ में, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद् (एनएएसी) द्वारा मान्य प्रत्यायन के लिए नियत किया गया है।

(xi) विद्यार्थियों के प्रवेश, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के अनुमोदन के नवीकरण, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता का संशोधन, नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को शुरू करने आदि के मामले में सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानक और प्रक्रियाएं आदि लागू रहेंगी और गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम), येनदाड़ा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश द्वारा इनकी अनुपालना की जाएगी। संजय

(xii) जहां कभी आवश्यक हो, गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम), विशाखापट्टनम, विश्वविद्यालयवत् संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से अपने संगम ज्ञापन (एमओए)/नियमावली का अद्यतन या पुनरीक्षण या आशोधन करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए विशिष्ट बदलाव/संशोधन, यदि कोई हो, तो वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से संगम ज्ञापन/नियमावली में कार्यान्वित किए जाएंगे।

(xiii) गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम), समविश्वविद्यालय विशाखापट्टनभ के संगम ज्ञापन/विनियमों, उप नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित इसकी सभी संघटक इकाईयां/बाह्य परिसर केन्द्रों/अपतटीय परिसरों के नाम स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट/दर्शाए जाएंगे।

(xiv) गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम), (समविश्वविद्यालय संस्थान), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 और 2014 तथा 2015 में इसमें किए गए संशोधनों में यथा निहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(xv) गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम), येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क ढांचे का पालन करेगा।

(xvi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संगत सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में अधिसूचित संस्थानों पर लागू सभी यथा निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों का गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम), विशाखापट्टनम और इसकी संघटक इकाईयों/बाह्य परिसर केन्द्रों/अपतटीय परिसरों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

7. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 ।

8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू, हाउस, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002 ।

संजय

9. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना को दर्शाने के लिए सीएमआईसी यूनिट को आवश्यक निर्देश देने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

10. फाइल सं. एफ.10-1/2015.यू.3(ए)

11. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल

संजय

(संजय कुमार सिन्हा)

निदेशक